प्रेमक,
अजय कुमार बौघरी, माॅॅॅॅॅॅॅ,
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,
जिला पदाविकारी,
नवादा

पटना, दिनांक ________________

विषय:-
तृतीय चरण शिक्षक नियोजन-(2012-2013) हेतु अग्रसरित द्वितीय चरण की विवादापूर्व रिक्तियाँ को माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा पारित आदेश के आलोक में रोस्टर संस्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-
आपका पत्रांक-1698 (शिक्षा) दिनांक-27.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक पत्र के माध्यम से प्रखंड-अकबरपुर, नावरीगंज, मेघकोर, सिसदाल एवं कोआकोल नियोजन इकाईयों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा विभिन्न बादों में पारित आदेश के आलोक में द्वितीय चरण के रिक्त पद पर नियोजन हेतु तृतीय चरण नियोजन हेतु जिला स्तर पर निमंत्रित एवं अनुमोदित रोस्टर में संशोधन की अनुमति की मांग की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय/अपीलीय प्राधिकार के आदेश की छाया प्रति संलगन की जा रही है जो सलाम नहीं है। साथ ही रोस्टर में संशोधन की सहमति नहीं होने पर Review Petition दायर करने की अनुमति की मांग की गयी है। निदेशालय स्तर पर की गयी समीक्षा से स्पष्ट होता है कि—

1. जिला स्तर पर नियोजन के निमंत्रित रोस्टर निर्माण/अनुमोदन हेतु जिला पदाविकारी सक्षम प्राधिकार है।

2. सी० डब्लू० जे० सी० स००-2084/2011 के संबंध में जिला शिक्षा पदाविकारी, नवादा के पत्रांक-647 दिनांक-28.04.2012 के आलोक में विमाजीय पत्रांक-665 दिनांक-29.09.2012 के द्वारा रिखित स्पष्ट की जा चुकी है।

3. सी० डब्लू० जे० सी० स००-20433/2012- कार्यानंद कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी० डब्लू० जे० सी० स००-11013/12 धनराज कुमार पाॅवेडे बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में कोई मार्गदर्शन की मांग जिला स्तर से पूर्व में नहीं की गई थी, परन्तु सी० डब्लू० जे० सी० स००-2084/11 के संबंध में विमाजीय पत्रांक-665 दिनांक-29.09.2012 में सभी सामान्य निदेशों को उल्लेख किया जा चुका है। तदनुसार अलग से पु. विमाजीय निदेश/मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। (छायाप्रति सलाम)
जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सदनपथ, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार,
नवादा के पारित आदेश के संबंध में Review Petition दायर करने का प्रस्ताव है, तो सी० डब्लू० जे० सी० के
Writ, की प्रति, प्रतिशमथ पत्र की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अवलोकन
करके ही कोई मार्ग निदेश दिया जा सकता है। इस क्रम में Review हेतु Ground of Review को भी
तैयार कर उपस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

जहाँ तक जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध Review दायर
cरने की अनुमति का प्रश्न है, तो अंकित करना है कि प्राधिकार को Review Jurisdiction नहीं है। ऐसी
स्थिति में प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी० डब्लू० जे० सी० के तहत वाद दायर
cरना अपेक्षित है। ध्यान दें कि कब्जा पत्रकार-465 दिनांक–09.07.2012 द्वारा भी भीम जिला शिक्षा
पदाधिकारी को यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि विगत नियोजन वर्ष में कई शिक्षकों जो विवादित हो उन्हें
तत्काल अग्रगतित नहीं करे। इस पत्र की प्रति भी जिला पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायी गयी थी।
(छायाप्रति संलग्न)

अतः उक्त परामर्श के आलोचना में अग्रता कार्यवाह करते हुए कृत कार्यवाह से अद्योहस्ताक्षरों
cो कृपया अवगत कराने का कार्य करें।


c
विश्वासमाजन,

80/–
(अजय कुमार चौधरी)
निदेशक (प्राध्यापिक शिक्षा)

शास्त्री–7/निरूप–05/2013........81...........
पटना, दिनांक................

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
cकार्यार्थ प्रस्तित।

निदेशक (प्राध्यापिक शिक्षा)

14/13